बिहार सरकार,
वित्त विभाग

अधिसूचना

संख्या–वि0(27)पी0सी0–133/2009................/दिनांक– जुलाई, 2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पेंशन नियमावली 1950 नियम 43(ख) के बाद एक नया उप नियम (ग) को जोड़ने का संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :–

43 (ग) जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही या ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जिसमें उक्त सेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत हो, सेवा निवृत्ति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं हुई हो, वहाँ औपबंधिक पेंशन की राशि नियमतः अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(आर०के० खण्डेलवाल)
सचिव(संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक– दिनांक........................
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आर०के० खण्डेलवाल)
सचिव(संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक– 1006 दिनांक 19.07.2012
प्रतिलिपि– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आर०के० खण्डेलवाल)
सचिव(संसाधन), वित्त विभाग।